कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक:– 293 / FP/UK/ROAD/29571/2017 दिनॉक:देहरादून 28 जुलाई, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड,
देहरादून।

विषय:– जनपद नैनीताल में विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास मार्ग से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/29571/2017)

सन्दर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 19–01–2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में आर0ई0सी0 की बैठक दिनांक 21–09–2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 86/12–1 दिनांक 15.07.2022 से प्राप्त आख्या/सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	The DFO has mentioned that the area proposed for diversion is 'prone to erosion' therefore the State govt. will provide the structures and detailed budgetary provisions in the project to mitigate the erosion in the area.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 86/12–1 दिनांक 15.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग में होने वाले 'prone to erosion' के बचाव हेतु आवश्यकतानुसार प्रस्तावित डी0पी0आर0 में Structures and Budgetary provision कर लिया जायेगा।
2	The State govt. may submit the enumeration list of tree the enumeration list of tree counted in the 7 meter width of the proposed alignment.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के उक्त पत्र में उल्लिखित है कि भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में प्रस्तावित 09 मीटर के स्थान पर वर्तमान में 07 मीटर चौड़ाई के अन्तर्गत ही पेड़ों की गणना की गयी है, जिस कारण प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 446 है। 09 मीटर के स्थान पर 07 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना करने पर 80 वृक्षों की संख्या कम हो गयी है। सूची प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।
3	The widening work of NH-84 is going on at present which should solve the problem of traffic congestion on this route. In such a situation, proposing a bypass after felling 562 trees dones not seem to be justified. A proper technical justification of the proposed bypass road is required to be provided with facts.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के उक्त पत्र में उल्लिखित है कि प्रस्तावित मार्ग घनी आबादी एवं कृषि बाहुल्य क्षेत्र के समीप से गुजरता है, जिसे स्थानीय जनता/कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार विगत 40 वर्षों से कच्चे मार्ग के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। स्थानीय कृषकों एवं स्कूली बच्चों द्वारा (एन0एच0–87) का उपयोग में लाया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि स्कूली छात्रों के बस से उतरने एवं चढ़ने हेतु थोडे–थोडे अन्तराल में बसों को रूकना होता है, जो सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र गौला

Robin PD Backup

		नदी के समीप स्थित है तथा क्षेत्र में थोडे–थोडे अन्तराल में स्टोन कशर भी है। इस क्षेत्र से खनिज उपज लाने एवं ले जाने हेतु प्रतिदिन लगभग 500 से 700 वाहनों का आवागमन होता है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित मार्ग आवश्यक है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से राजमार्ग में प्रवेश करने व निकास करने वाले वाहनों की संख्या में भारी कमी आयेगी, जिससे Road Safety बढेगी।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 293 / FP/UK/ROAD/29571/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 86/12–1 दिनांक 15.07.2022 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

27/07/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।